

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 442]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 9 अगस्त 2017—श्रावण 18, शक 1939

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 अगस्त 2017

क्र. एफ-1-05-2011-एक-(1).—राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-5-2011-एक(1), दिनांक 23 दिसम्बर, 2011 में जो मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर, 2011 में प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,—

1. अनुक्रमांक 21 में, शब्द "मध्यप्रदेश राज्य विधान मण्डल के उपाध्यक्ष" का लोप किया जाए;
2. अनुक्रमांक 18 में, शब्द "मध्यप्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री" के पश्चात्, निम्नलिखित शब्द अन्तःस्थापित किए जाएं, अर्थात्:—

"मध्यप्रदेश राज्य विधान मण्डल के उपाध्यक्ष".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

धरणेन्द्र कुमार जैन, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 9 अगस्त 2017

क्र. एफ-1-5-2011-एक-(1).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-1-5-2011-एक-(1), दिनांक 09 अगस्त 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

धरणेन्द्र कुमार जैन, उपसचिव.

Bhopal, the 9th August 2017

No. F -1-5-2011-One-(1).—The State Government, hereby, makes the following amendment in this Department's Notification No. F 1-5-2011-One (1), dated 23rd December, 2011, which was published in the Madhya Pradesh Gazette, dated 23rd December, 2011, namely :—

AMENDMENT

In the said Notification,—

1. In serial number 21, the Words “Deputy Speaker of Madhya Pradesh State Legislature”, Shall be omitted;
2. In serial number 18, after the words Ex-Chief Minister of Madhya Pradesh, the following words shall be inserted, namely:—

“Deputy Specker of Madhya Pradesh State Legislature.”.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
DHARNENDRA KUMAR JAIN, Dy. Secy.